MSOS / LCOS THE NET WORTH GAME

The cable and satellite TV broadcast business was largely driven by small Cable TV operators, each catering to the needs of local subscribers. With large MSOs entering the business, the dynamics changed. This article deliberates the net worth of MSOs and the affiliated issues.

As per the Companies Act 2013, "net worth" means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits and securities premium account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation. Conceptually, Net worth is the value of all the non-financial and financial assets minus the value of all its outstanding liabilities owned by an individual or institutional unit.

An MSO has to make substantial investment for setting up the head-ends. Further additional investment is necessary for spreading the network. The equipment also requires continuous technology up-gradation. In addition, as a business entity, an MSO has to face competition from within and outside industry, thereby necessitating expenditure on marketing, sales and value-added services to gain new customer and to retain existing customers. Net-worth of a company is an important parameter for gauging its financial standing. However, whether specifying a minimum net-worth for an applicant MSO will help improve orderly growth, is a pertinent question?

In the registration of MSO, Government do not allocate any natural resource. MSOs have to make their own business plan to survive in the competitive market. It

एमएसओ /एलसीओ नेटवर्थ का खेल

केबल और सैटेलाइट टीवी प्रसारण व्यवसाय बड़े पैमाने पर छोटे केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा संचालित था, प्रत्येक स्थानीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता था। बड़े एमएसओ के कारोबार में प्रवेश करने के साथ गतिशीलता बदल गई। यह लेख एमएसओ और संबद्ध मुद्दों के लिए नेटवर्थ पर विचार-विमर्श करता है।

कंपनी अधिनियम **2013** के अनुसार 'नेट वर्थ' का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी का कुल मूल्य और लाभ और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से बनाये गये सभी भंडार, संचित हानियों, आस्थागित व्यय और विविध व्यय के कुल मूल्य को घटाने के बाद लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बट्टे खाते में नहीं डाला गया है, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन से सृजित भंडार, मूल्यह्रास और समामेलन का राइट बैक शामिल नहीं है। संकल्पनात्मक रूप से नेटवर्थ सभी गैर-वित्तीय और वित्तीय संपत्तियों का मूल्य घटाकर किसी व्यक्ति या संस्थागत इकाई के स्वामित्व वाली सभी बकाया देनदारियों का मूल्य है।

एक एमएसओ को हेडएंड स्थापित करने के लिए पर्याप्त निवेश करना पड़ता है। नेटवर्क के प्रसार के लिए और अतिरि2त निवेश करने की आवश्यकता होती है। उपकरणों को निरंतर तकनीकी अपडेट की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक व्यवसायिक इकाई के रूप में एक एमएसओ को उद्योग के भीतर और बाहर से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जिससे नये ग्राहक हासिल करने और मौजूदा ग्राहक को बनाये रखने के लिए मार्केटिंग, बिक्री और मूल्यवर्धित सेवाओं पर खर्च की आवश्यकता होती है। किसी कंपनी का नेटवर्थ उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर है। हालांकि, क्या एक आवेदक एमएसओ के लिए न्यूनतम नेटवर्थ निर्दिष्ट करने से व्यवस्थित विकास में सुधार करने में मदद मिलेगी, यह एक प्रासंगिक प्रश्न है?

एमएसओ के पंजीकरण में सरकार कोई प्राकृतिक संसाधन आवंटित नहीं करती है। प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहने के लिए एमएसओ को अपनी खुद की व्यवसाय योजना बनानी होगी। व्यवसाय के सुचारू संचालन

is the decision of the MSO to maintain necessary capital and working capital for smooth conduct of business. One argument could be that stipulation of minimum level entry net worth will ensure MSO that it has enough strength to run its business. Counter argument could be that in free market, there is no need for any stipulation by the Government as the applicant has full freedom as to how it manages the resources such as land, labour and capital. More over entry level net worth may not ensure that every MSO succeeds in the business.

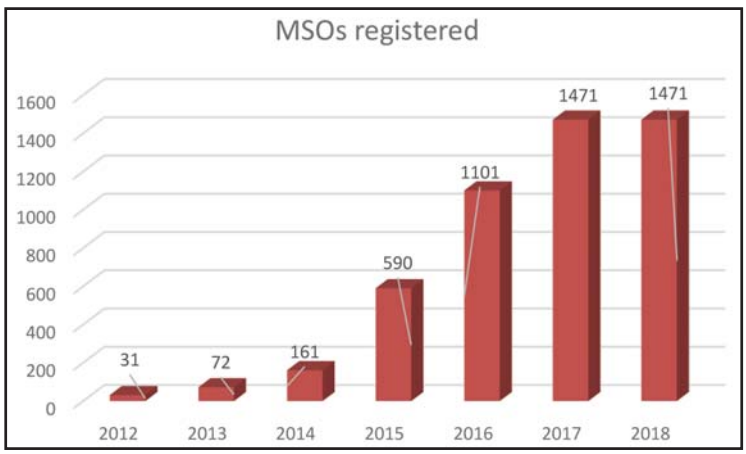

As per MIB data, there are 1471 MSOs registered with MIB as on 31/03/2018. In line with progress of digitisation, the number of registered MSOs has steadily increased, 31 in 2012 to 1471 in 2017.

Theoretically, the presence of large number of smaller firms within an industry with higher fixed costs may not sustain in the long run in competition with larger entities as the later have economies of scale. Many of the smaller firms may not get adequate access to financial markets. Because such firms may be subjected to credit rationing wherein lenders would be able to provide funds only after ascertaining creditworthiness or other parameter denoting financial strength. On the demand side, it is possible that an entrant MSO has relatively smaller estimated consumer base. Thus, a typical MSO has to face competition both from within industry that is from incumbent MSOs, as well as from outside the industry that is from other type of distribution platforms like DTH service providers etc. The stiff competition and advent of new technology like freely available content on OTT platforms exert sufficient pressure on such small firms. These factors underline the possibility that the smaller entrant firms may be more susceptible. Such firms may fail to recover fixed costs and become unviable. Therefore, in order to induce stability and sustainability of growth in the industry, one view could be to prescribe a minimum net worth requirement for registration as MSO.

At present, as per Cable Television Network Rules 1994 (as amended), an applicant seeking license for operating

के लिए आवश्यक पूंजी और कार्यशील पूंजी को बनाये रखने एमएसओ का निर्णय है। एक तर्क यह हो सकता है कि न्यूनतमस्तर की प्रवेश नेटवर्थ की शर्त एमएसओ को सुनिश्चित करेगी कि उसके पास अपना व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त ताकत है। काउंटर तर्क यह हो सकता है कि मुक्त बाजार में, सरकार द्वारा किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवेदक को पूरी स्वतंत्रता है कि भूमि, श्रम और पूंजी जैसे संसाधनों का प्रबंधन कैसे करती है। प्रवेश स्तर से अधिक नेट वर्थ यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि प्रत्येक एमएसओ व्यवसाय में सफल होता है।

एमआईबी के आंकड़ों के अनुसार **31/03/2018** तक एमआईबी के साथ **1471** एमएसओ पंजीकृत हैं। डिजिटलीकरण की प्रगति के अनुरूप पंजीकृत एमएसओ की संख्या **2012** में **31** से बढ़कर **2017** में **1471** तक लगातार बढ़ी है।

सैद्धांतिक रूप से, उच्च निश्चित लागत वाले उद्योग के भीतर बड़ी संख्या में छोटी फर्मो की उपस्थिति बड़ी संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में लंबे समय तक नहीं रह सकती है, क्योंकि बाद में पैमाने की अर्थव्यवस्थायें होती है। कई छोटी फर्मो को वित्तीय बाजारों तक पर्याप्त पहुंच नहीं मिल सकती है। क्योंकि ऐसी फर्मो को क्रेडिट राशनिंग के अधीन किया जाता है जिसमें ऋणदाता साख या वित्तीय मजबूती को दर्शाने वाले अन्य मापदंडों का पता लगाने के बाद ही धन प्रदान करने में सक्षम होंगे। मांग पक्ष पर यह संभव है कि प्रवेशी एमएसओ के पास अपेक्षाकृत कम अनुमानित उपभोक्ता आधार हो। इस प्रकार एक विशिष्ट एमएसओ को उद्योग के भीतर से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जो कि मौजूदा एमएसओ से है, साथ ही उद्योग के बाहर से है जो अन्य प्रकार के वितरण प्लेटफॉर्मो जैसे डीटीएच सेवा प्रदाताओं आदि से है। कड़ी प्रतिस्पर्धा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे नयी तकनीक का आगमन ऐसी छोटी फर्मो पर पर्याप्त दबाव डालता है। ये कारक इस संभावना को रेखांकित करते हैं कि प्रवेश करने वाली छोटी फर्मे अधिक संवेदनशील हो सकती है। ऐसी फर्मे निश्चित लागत वसूल करने में विफल हो सकती है और अव्यवहार्य हो सकती हैं। इसलिए, उद्योग में स्थिरता और विकास की स्थिरता को प्रेरित करने के लिए, एमएसओ के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेट वर्थ की आवश्यकता को निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है।

वर्तमान में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, **1994** (संशोधित) के अनुसार एमएसओ के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने

as an MSO can be an individual, an association of individuals or body of individuals, whether incorporated or not, or a company. The eligibility criteria for an applicant multi-system operator as per rule 11(B) are as follows :—

a) *where the applicant is a person, he shall be a citizen of India and not less than eighteen years of age;*

b) *where the applicant is an association of Individuals or body of individuals, whether incorporated or not, the members of such an association or body shall be citizens of India and not less than eighteen years of age;*

c) *where the applicant is an association of Individuals or body of individuals, whether incorporated or not, the members of such an association or body shall be citizens of India and not less than eighteen years of age;*

d) *the applicant shall not be an undischarged insolvent;*

e) *the application shall not be a person of unsound mind as declared by a-competent court;*

f) *the applicant shall not be convicted of any criminal offence.*

Further as per MSO registration procedure followed by MIB, in case of individuals the eligibility criterion in terms of net worth states that he/she should have a positive net worth. In case of association of individuals or body of individuals or a company, there is no criterion in terms of net worth requirements.

It is essential that a company has an adequate financial strength while operating in a technology dependent, dynamic and capital-intensive industry. Cable TV distribution service is an important support in the overall value chain as it constitutes the last mile for extending service to the consumer. A financially weak entity may either wind-up or may have to compromise on quality of its services. In either case the effects of such scenarios are not good for orderly growth of the sector. The policy framework should therefore ensure that only those entities which can sustain competition and provide best quality of service to consumer are eligible to register.

Another very important issue is regarding eligibility of an individual to operate services as MSO. Rule 11B of the cable TV rules does not differentiate between a person and a legal person as an applicant for MSO registration. As such, if an individual applies for an MSO license, there is no prudent way to confirm his/her actual net worth. Because

वाला आवेदक एक व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे नियमित हो या न हो, या एक कंपनी हो सकता है। नियम **11** (वी) के अनुसार एक आवेदक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए पात्रता मानदंड निम्नुसार हैः

ए) *जहां आवेदक एक व्यक्ति है, वह भारत का नागरिक होगा, और **18** वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए*

वी) *जहां आवेदक व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे नियमित हो या नहीं, ऐसे संघ या निकाय के सदस्य भारत के नागरिक होंगे, और **18** वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे*

सी) *जहां आवेदक व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे नियमित हो या नहीं, ऐसे संघ या निकाय के सदस्य भारत के नागरिक होंगे, और **18** वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे*

डी) *आवेदक अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होगा*

ई) *आवेदक एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित के रूप में विकृत दिमाग का व्यक्ति नहीं होगा*

च) *आवेदक को किसी भी आपराधिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया जायेगा।*

इसके अलावा एमआईबी द्वारा अपनायी गयी एमएसओ पंजीकरण प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तियों के मामले में नेट वर्थ के संदर्भ में पात्रता मापदंड बताता है कि उसके पास सकारात्मक नेटवर्थ होना चाहिए। व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या किसी कंपनी के मामले में नेटवर्थ आवश्यकताओं के संदर्भ में कोई मानदंड नहीं है।

यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी पर निर्भर, गतिशील और पूंजी गहन उद्योग में काम करते समय एक कंपनी के पास पर्याप्त वित्तीय ताकत हो। केबल टीवी वितरण सेवा समग्र मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण समर्थन है क्योंकि यह उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने के लिए अंतिम मील का गठन करती है। आर्थिक रूप से कमजोर इकाई या तो बंद हो सकती है या उसे अपनी सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ सकता है। किसी भी मामले में इस तरह के परिदृश्यों के प्रभाव क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए नीतिगत ढ़ांचे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल वे संस्थायें जो प्रतिस्पर्धा बनाये रख सकती हैं और उपभोक्ता को सर्वोत्तम गुणवत्ता की सेवा प्रदान कर सकती है, वे पंजीकरण की पात्र हैं।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा एमएसओ के रूप में सेवाओं को संचालित करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता के संबंध में है। केबल टीवी नियमों का नियम **11** बी एमएसओ के पंजीकरण के लिए आवेदक के रूप में व्यक्ति और कानूनी व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता है। जैसे, यदि कोई व्यक्ति एमएसओ लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसकी वास्तविक नेटवर्थ की पुष्टि करने का कोई विवेकपूर्ण तरीका नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति को

an individual is not required to make any statutory submissions to any public authority that specifies the net-worth. So, if a minimum net worth requirement is specified, it will be necessary to specify the format and the procedure to calculate the net-worth. Similarly, issues will arise in case of the group of individuals. Alternatively, if a minimum net-worth is prescribed, the extant rules may be reviewed to prescribe only business entity like a proprietor-ship firm in case of an individual and a partnership firm in case of group of individuals. It is noted that business entities as registered firms are duly audited, and their net worth can be duly assessed based on their actual paid up capital or previous years' audited reports. Such audited reports are part of statutory filings and therefore can be duly verified.

Due to digitalization and convergence, many non-traditional broadcasting TV distribution platforms such as OTT are emerging in the market. To remain competitive, it becomes necessary for MSOs to upgrade their networks and equipment for provisioning of value-added services including triple play services and broadband internet. In such a scenario, it becomes even more essential for the firms to have substantial financial strength.

On the other hand, any entry or exit barrier may deter first generation/new entrepreneurs. The nature of competition in the market as well as high upfront investments can itself ensure that firms having adequate financial strength only enter the field. However, though no specific data exists for MSO's becoming unviable, the fact that only about 77.7 % of those registered with MIB are actually operating business, may be an indication.

Conversely, the regional MSOs are necessary in the cable TV sector as they can better provide the program diversity to cater to the regional/local tastes. A minimum net-worth criterion or entry could discourage the growth of smaller MSOs in far-flung areas and in-turn may hinder the incubation and growth of local and regional channels. Thus, an entry barrier like fixing a minimum net-worth requirement may adversely affect overall program diversity and development of local and regional content.

NET-WORTH BASED ON AREA OF OPERATION

In the cable TV sector, MSOs providing cable TV services are categorized on a pan-India basis only. As per the guidelines issued by the MIB vide notification No. 2/108/2015-DAS dated 27/01/2017 whereby all registered MSOs are free to operate in any parts of the country, irrespective of registration for specified DAS notified area(s) granted by the Ministry of I&B.

However, since the capital requirements for setting

किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई वैधानिक प्रस्तुतियां करने की आवश्यकता नहीं होती है जो नेटवर्थ को निर्दिष्ट करता है। इसलिए यदि न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता निर्दिष्ट की जाती है तो नेटवर्थ की गणना के लिए प्रारूप और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा। इसी तरह व्यक्तियों के समूह के मामले में भी समस्यायें उत्पन्न होंगी। वैकल्पिक रूप से यदि एक न्यूनतम नेटवर्थ निर्धारित किया जाता है तो मौजूदा नियमों की समीक्षा केवल व्यवसायिक इकाई जैसे कि एक व्यक्ति के मामले में एक प्रोपराइटर शिप फर्म और व्यक्तियों के समूह के मामले में एक साझेदारी फर्म को निर्धारित करने के लिए की जा सकती है। यह नोट किया जाता है कि पंजीकृत फर्मों के रूप में व्यवसायिक संस्थाओं का विधिवत लेखापरीक्षित रिपोर्ट के आधार पर उनकी नेटवर्थ का विधिवत मूल्यांकन किया जा सकता है। इस तरह लेखापरीक्षित रिपोर्ट वैधानिक फाइलिंग का हिस्सा है और इसलिए इसे विधिवत सत्यापित किया जा सकता है।

डिजिटलीकरण और कन्वर्जंस के कारण, कई गैर–पारंपरिक प्रसारण टीवी वितरण प्लेटफॉर्म जैसे ओटीटी बाजार में उभर रहे हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एमएसओ के लिए ट्रिप्लप्ले सेवाओं और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सहित मूल्य वर्धित सेवाओं के प्रावधान के लिए अपने नेटवर्क और उपकरण को अपग्रेड करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे परिदृश्य में फर्मो के लिए पर्याप्त वित्तीय ताकत होना और भी आवश्यक हो जाता है।

दूसरी ओर, कोई भी प्रवेश या निकाय अवरोध पहली पीढ़ी/नये उद्यमियों को रोक सकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा की प्रकृति के साथ–साथ उच्च अग्रिम निवेश स्वयं यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पर्याप्त वित्तीय ताकत रखने वाली फर्म ही क्षेत्र में प्रवेश करें। हालांकि, आमतौर पर एमएसओ के अव्यावहारिक होने के लिए कोई विशिष्ट डेटा मौजूद नहीं है, तथ्य यह है कि एमआईबी के साथ पंजीकृत लोगों में से केवल **77.7%** ही वास्तव में व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, यह एक संकेत हो सकता है।

इसके विपरीत, केबल टीवी में क्षेत्रीय एमएसओ आवश्यक हैं क्योंकि वे क्षेत्रीय/स्थानीय रूचियों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम विविधता को बेहतर ढंग से प्रदान कर सकते हैं। एक न्यूनतम नेटवर्थ मानदंड या प्रवेश दूर–दराज के क्षेत्रों में छोटे एमएसओ के विकास को हतोत्साहित कर सकता है और बदले में स्थानीय और क्षेत्रीय चैनलों के ऊष्मायन और विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार, न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता तय करने जैसी प्रवेश बाधा समग्र कार्यक्रम विविधता और स्थानीय और क्षेत्रीय सामग्री के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

संचालन के लिए क्षेत्र के आधार पर नेटवर्थ

केबल टीवी क्षेत्र में, केबल टीवी सेवायें प्रदान करने वाले एमएसओ को केवल अखिल भारतीय आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एमआई बी द्वारा अधिसूचना संख्या **2/108/2015**–डीएएस दिनांक **27/01/2017** द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जिससे सभी पंजीकृत एमएसओ देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे सूचना और प्रसारण मंत्रालय निर्दिष्ट डीएएस अधिसूचित क्षेत्र के लिए पंजीकरण की परवाह किये बिना।

up operations of an entrant MSO would depend upon the areas of operation, it is conceivable that their net worth requirements could also vary with the initial proposed area of operation.

Accordingly, there could be categories of MSOs based on the area of operation. First there could be the national level MSO providing its services in major part of the country covering at least 'n' number of states. Similarly, there could be state level MSOs having an area of operation in a state. And at local level there can be MSO's who cover a district or part thereof.

As mentioned above, the investment level required for each of the above three categories of MSO would vary significantly depending upon the area of coverage, with a pan India MSO having a substantially higher levels of required investment followed by other two categories of MSOs. Therefore, one view could be to fix the entry level net worth requirement in accordance to the desired scale of operation of an entrant MSO such that the required minimum net worth would be highest for Pan India MSOs followed by state level MSOs and least for district level MSOs.

As evident from above, currently, registrations are granted to MSOs for operations on a Pan India basis. Now, one scenario might be that if a requirement for minimum net worth is specified based on the proposed area of operation then the licenses may not be granted on a Pan India basis. Other scenario might be that even after specifying a minimum net worth requirement, licenses are granted on a Pan India basis. This is because even if an applicant wishes to operate on a local or regional level, licenses could be granted on a Pan India basis after ascertaining the requisite net worth to operate at that level. There are two possible scenarios. Scenario 1, where an entrant MSO operates on a district level or state level and gradually expands its coverage. Scenario 2, where an MSO starts with multistate operations and expands its horizons nationally through organic and in-organic (through mergers and acquisitions) growth. In scenario 1, a multi-level net worth may be necessary whereas in scenario 2 a single level net worth would suffice.

In case a new regime is created by granting registration on the basis of area of operation then there may also be a need to classify even the existing MSOs on the same basis to create a level playing field within the industry. The counter view may be that such classification may not be required as it may complicate the process. ■

हालांकि, चूंकि एक प्रवेशी एमएसओ के संचालन की स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकतायें संचालन के क्षेत्रों पर निर्भर करती है, यह अनुमान योग्य है कि संचालन के प्रारंभिक प्रस्तावित क्षेत्र के साथ उनकी नेटवर्थ की आवश्यकतायें भी भिन्न हो सकती है।

तदानुसार संचालन के क्षेत्र के आधार पर एमएसओ की श्रेणियां हो सकती हैं। पहला राष्ट्रीयस्तर का एमएसओ हो सकता है जो कम से कम अनेक राज्यों को कवर करते हुए देश के बड़े हिस्से में अपनी सेवायें प्रदान कर रहा हो। इसी तरह राज्यस्तर के एमएसओ हो सकते हैं जिनका एक राज्य में संचालन का क्षेत्र हो। और स्थानीयस्तर पर ऐसे एमएसओ हो सकते हैं जो किसी भी जिले या उसके हिस्से को कवर करते हैं।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है एमएसओ की उपरोक्त तीन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए आवश्यक निवेशस्तर कवरेज के क्षेत्र के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होगा, जिसमें एक अखिल भारतीय एमएसओ के पास आवश्यक निवेश के उच्च स्तर के बाद एमएसओ की अन्य दो श्रेणियां होंगी। इसलिए, एक दृष्टिकोण एक प्रवेशी एमएसओ के संचालन के वांछित पैमाने के अनुसार प्रवेश स्तर की नेटवर्थ की आवश्यकता को ठीक करने के लिए हो सकता है जैसे कि आवश्यक न्यूनतम नेटवर्थ अखिल भारतीय एमएसओ के लिए उच्चतम होगा और उसके बाद राज्यस्तर के एमएसओ और कम से कम जिलास्तर के एमएसओ के लिए।

जैसाकि ऊपर से स्पष्ट है कि वर्तमन में एमएसओ को अखिल भारतीय आधार पर संचालन के लिए पंजीकरण प्रदान किये जाते हैं। अब, यह परिदृश्य हो सकता है कि यदि संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता निर्दिष्ट की जाती है तो अखिल भारतीय आधार पर लाइसेंस प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अन्य परिदृश्य यह हो सकता है कि न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता को निर्दिष्ट करने के बाद भी, अखिल भारतीय आधार पर लाइसेंस दिये जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई आवेदक स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर काम करना चाहता है तो उस स्तर पर संचालित करने के लिए आवश्यक नेटवर्थ का पता लगाने के बाद अखिल भारतीय आधार पर लाइसेंस दिये जा सकते हैं। दो संभावित परिदृश्य हैं। परिदृश्य **1**ः जहां एक प्रवेशकर्ता एमएसओ जिलास्तर या राज्यस्तर पर काम करता है और धीरे-धीरे अपने कवरेज का विस्तार करता है। परिदृश्य **2**ः जहां एक एमएसओ बहुराज्यीय संचालन के साथ शुरू होता है और जैविक और इन-आर्गेनिक (विलय और अधिग्रहण के माध्यम से) विकास के माध्यम से राष्ट्रीयस्तर पर अपने क्षितिज का विस्तार करता है। परिदृश्य **1** में एक बहु-स्तरीय नेटवर्थ आवश्यक हो सकता है जबकि परिदृश्य **2** में एकलस्तर का नेटवर्थ पर्याप्त होगा।

यदि संचालन के क्षेत्र के आधार पर पंजीकरण प्रदान करके एक नयी व्यवस्था बनायी जाती है तो उद्योग के भीतर एक समान अवसर बनाने के लिए मौजूदा एमएसओ को भी उसी आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रतिवाद यह हो सकता है कि इस तरह के वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि यह प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। ■